UPPG010013952026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट) एक्ट/गैंगेस्टर एक्ट, प्रतापगढ़।

पीठासीन अधिकारी– अंकिता दुबे , एच 0 जे0 एस 0**– UP–1713**

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–502/2026

रामेन्द्र सरोज उर्फ पंकज आयु 31 वर्ष सुत राजा राम सरोज निवासी हिसामपुर थाना संग्रामगढ़ जिला प्रतापगढ।

..... **आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

राज्य उ 0 प्र 0 .....**अभियोगी**

मु0 अ 0 सं0–28/2026
धारा–2/3 उ 0 प्र 0 गैंगेस्टर एक्ट
थाना–संग्रामगढ़, जिला–प्रतापगढ़।

06.03.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **रामेन्द्र सरोज उर्फ पंकज** की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या–28/2026, धारा–2/3 उ 0 प्र 0 गैंगेस्टर एक्ट, थाना–संग्रामगढ़, जिला–प्रतापगढ़ के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त दिनांक–17.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

3. **अभियोजन कथानक** के अनुसार दिनांक 16.02.2026 को मैं थानाध्यक्ष मनोज कुमार तोमर मय हमराह का0 रामनरेश मय एक जरब इसास मय कारतूस के मय सरकारी वाहन नं0 UP72 G 0328 मय चालक का० अमित सिंह के थाना हाजा से रवाना होकर तलाश वांछित वारंटी, रोकथाम जुर्म जरायम, देखभाल क्षेत्र में थाना क्षेत्र में रवाना था कि रो०आम जनता एवं सम्भ्रान्त व्यक्तियों से पता चला कि गैंग लीडर दिनेश यादव पुत्र मेवालाल यादव नि० ग्राम नेवानी नरई थाना संग्रामगढ जनपद प्रतापगढ अपने सहयोगी सदस्य 1. पिन्टू सरोज उर्फ बृजलाल सरोज पुत्र दयाराम सरोज नि० राय गढ नरई, 2. ओम प्रकाश उर्फ लल्लन पुत्र श्यामलाल, 3. अशोक यादव पुत्र गोविन्द यादव, 4. वीरेन्द्र यादव पुत्र मेवालाल यादव, 5. शिवलाल सरोज पुत्र राम सेवक, 6. बबलू यादव पुत्र त्रिभुवन, 7. रमेश कोहार पुत्र कमलेश कोहार, 8. संजय सरोज पुत्र मेवालाल, 9. दुर्गेश सेन उर्फ साहिल पुत्र राजेश सेन 10. सागर नाई पुत्र राजेश सेन, 11. सुरेन्द्र कुमार यादव पुत्र मेवालाल यादव, 12. अंकुश सिंह पुत्र रुद्रपाल सिंह नि० गण नरई थाना संग्रामगढ जनपद प्रतापगढ व 13. रामेन्द्र सरोज उर्फ पंकज पुत्र राजाराम सरोज नि० हिसामपुर थाना संग्रामगढ प्रतापगढ के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह कायम कर रखा है जो जनपदीय स्तर पर सक्रिय है। इस गिरोह का गैंगलीडर दिनेश यादव अपने गिरोह के साथियों के साथ मिलकर अपने तथा गिरोह के सदस्यों के अनुचित दुनियावी आर्थिक, भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने एव लोकव्यवस्था अस्त व्यस्त किये जाने के उद्देश्य से हत्या का प्रयास करने व पैसा वसूलने की नियत से आपराधिक षडयंत्र व मिथ्या साक्ष्य गढ़कर व उद्यापन करके झूठा अभियोग लिखाने व लोकमार्ग पर जाम लगाकर भय का माहौल व्याप्त कर एम्बुलेन्स को रोकने जैसे अपराध कारित कर रहा है। गैंगलीडर दिनेश यादव उपरोक्त द्वारा अपने गिरोह के सदस्यो के साथ सामूहिक रुप से मिलकर अपराध को कारित किया जाता है। थाना क्षेत्र के लोगों से पूर्व में ही प्रायः इस गैंग के बारे में सूचना प्राप्त होती थी एवं थाना स्थानीय के अभिलेखो में भी उक्त गैंग द्वारा उक्त अपराध करना पाया गया है। इस गिरोह के गैंग लीडर दिनेश यादव व सदस्य सुरेन्द यादव, दुर्गेश सेन उर्फ साहिल नाई, सागर नाई, अशोक यादव द्वारा दिनांक 30.10.24 को रात्रि 11 बजे नेवानी पुलिया के पास राजेन्द्र तिवारी पुत्र शिवपूजन तिवारी नि० कैथा असोगी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से सिर पर गम्भीर चोट पहुँचायी गयी थी जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0 अ 0 सं0 243/24 धारा 191 (2) / 115

Digitally signed by ANKITA DUBEY
Date: 2026.03.04 15:00:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

(2)/352/118(1)/109(1)/110 बीएनएस पंजीकृत किया गया था जिसमें विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 191(2)/115 (2)/352/109(1) बीएनएस मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया जो कि विचाराधीन मा0 न्यायालय है। इसी गैंग के लीडर दिनेश यादव व सदस्य ओम प्रकाश उर्फ लल्लन, पिन्टू सरोज उर्फ बृजलाल, वीरेन्द्र यादव सुरेन्द्र कुमार यादव, अशोक यादव, दुर्गेश सेन उर्फ साहिल द्वारा उपरोक्त मुकदमें से बचने व पैसा वसूलने की नियत से झूठी मनगंढत घटना बना कर थाने पर मु0 अ 0 सं0 244/25 धारा 115(2)/140 (1) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था, विवेचना के दौरान घटना झूठी पाये जाने पर आपराधिक षडयंत्र व मिथ्या साक्ष्य गढने व उद्यापन करने के साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 61 (2)/231/217/308(6) बीएनएस में मा० न्यायालय प्रेषित किया गया जो विचाराधीन मा० न्यायालय है। इस गिरोह द्वारा दिनांक 01.11.24 को समय करीब 19.00 बजे लाठी डण्डा से लैश होकर अपराधिक षडयंत्र रचकर नरई चौराहे के मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया, एवं भय का महौल व्याप्त कर दिया नारेबाजी करते हुए पुलिस के अधिकारी/कर्मचारी गणो के साथ अभदता करना तथा एम्बुलेस को रोकना आदि अपराध कारित किये गये थे। इस गैंग के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु गैंग चार्ट दिनांक 05.02.2026 को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय प्रतापगढ से अनुमोदित करा लिया गया है

4. **जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार** लिया गया है कि प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है। उसने किसी भी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी को परेशान करने की नियत से उक्त मुकदमे में वांछित कर मुकदमा उपरोक्त मे झूठा फंसा दिया गया है। प्रार्थी को राजनैतिक द्वेष से परेशान करने की नियत से उपरोक्त वाद दर्ज कराया गया है। प्रार्थी गैंग चार्ट मे मात्र एक मुकदमे का गैंग चार्ट दिया गया है। उपरोक्त वाद मे विवेचक द्वारा कोई ऐसा तथ्य नही एकत्र किया है जिससे कहा जा सके कि प्राथी उपरोक्त वाद में धारा 16, 17, 22 भा.द.सं. का अपराध कारित किया है। प्रार्थी के पास कोई गैंग नही है और न ही किसी गैंग का सदस्य व लीडर है। न ही आर्थिक एंव भौतिक रूप से कोई संपत्ति ही अर्जित किया है। प्रार्थी कभी का सजायाप्ता नही है। प्रार्थी का कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनउ मे प्रस्तुत व विचाराधीन नही है न निरस्त हुआ है। अन्त में जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. **आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता** द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में यह कथन किया गया कि अभियुक्तगण किसी संगठित गिरोह का गैंग सदस्य नहीं है। अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष हैं। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्त कभी का सजायाफ्ता नहीं है। अभियुक्त जिला कारागार में दिनांक–17.02.2026 से निरूद्ध है और जमानत दिये जाने का निवेदन किया गया है।

6. **विद्वान विशेष लोक अभियोजक** द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि अभियुक्त का एक आपराधिक संगठन है तथा गैंग का सदस्य है। अभियुक्त गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर भौतिक, आर्थिक व दुनियाबी लाभ के लिये अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिल कर लोकमार्ग पर जाम लगाकर भय का माहौल व्याप्त करने व पुलिस के साथ अभद्रता करने जैसै अपराध कारित करने का आरोप है। अभियुक्त का यह अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया तो वह पुनः समान प्रकृति का अपराध कारित करेगा। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

7. वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध गैंगचार्ट में एक मुकदमा दर्शाया गया है–

रामेन्द्र सरोज उर्फ पंकज

1– मु0 अ 0 सं0 245/2024, धारा 61(2), 191(1), 191(2), 132, 221, 285, 190, 352, 353 बी. एन.एस. व 7 सी.एल.ए. एक्ट थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

8. वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध गैंग चार्ट में एक मुकदमा दर्शाया गया हैं तथा अभियुक्त को गिरोह का गैंग सदस्य बताया गया है। अभियुक्त पर अन्य गैंग के सदस्यों के अनुचित भौतिक, आर्थिक, दुनियावी लाभ हेतु अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिल कर लोकमार्ग पर जाम लगाकर भय का माहौल व्याप्त करने व पुलिस के साथ अभद्रता करने जैसै अपराध कारित करने का आरोप है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त द्वारा उक्त अपराध भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ हेतु किया गया हैं। अभियुक्त पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। गैंग चार्ट में वर्णित मुकदमें में जमानत दिया जाना गैंगेस्टर एक्ट में जमानत दिए जाने का कोई आधार नहीं है। ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त को

जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा–19(4) (B) के अन्तर्गत ऐसा कोई समाधानप्रद तथ्य आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है कि गैंग चार्ट में वर्णित अपराध उसके द्वारा नहीं किया गया है और जमानत पर रिहा किये जाने पर पुनः ऐसा अपराध कारित नहीं किया जायेगा। ऐसी स्थिति में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **रामेन्द्र सरोज उर्फ पंकज** की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या–28/2026, धारा–2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट, थाना–संग्रामगढ़, जिला–प्रतापगढ़ में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक–06.03.2026

(अंकिता दुबे)
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट)/
गैंगेस्टर ऐक्ट, प्रतापगढ़।